संख्या 2४४/बीस 8/2017 5(11)2010

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
देहरादून

गृह अनुभाग–8 देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न अधिष्ठानों हेतु वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय–व्ययक के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अधिष्ठान/मदवार **कुल रूपये 1696.0755 करोड़ (रूपये सोलह अरब छियानव्वे करोड सात लाख पचपन हजार मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक अलोटमेंट आई. डी. के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से **ऑनलाईन** भी अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि अहारण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

3– यह स्पष्ट किया जाना है कि "राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली" के प्रावधानानुसार "राज्य आकस्मिकता निधि" से अग्रिम धन केवल **अप्रत्याशित व्यय (Unforeseen expenditure)** हेतु ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः अतिमहत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य विषयों पर ही "राज्य आकस्मिकता निधि" से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय–भार सृजित किया जायेगा। आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। **मानक मद 01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है। अतः इन मदों से पुनर्विनियोग कराये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध, न कराया जाय।**

5– विभाग द्वारा यदि किसी योजना में **धनराशि पी.एल.ए. खाते में** जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाये, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय।

6– अधिष्ठान सम्बन्धी अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता अधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः 2..

क्रमशः 3..

7– पुलिस विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में किसी मुद्रण(टंकक) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटन में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में धनराशि व्यय से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9– सामान्यतः केन्द्रपोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगी। जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की वचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन की सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाय।

10– अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व पक्ष से पूँजी पक्ष तथा पूँजी पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्धित है, अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को न उपलब्ध कराया जाय। यद्यपि यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्यतः आय–व्ययक के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

11– जैसा कि बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्याः का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी.एम.–17 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजीका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों पर आवंटन आहरण–वित्त अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा और जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

14– वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य शासन की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लेते हुये औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि नये वाहन क्रय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

15— यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 519/3(150) 2017-XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित प्राविधानों तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या UK01100244 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे है।
संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या 288 /बीस—8/2017—5(11)2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग—5
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विजय कुमार)
उप सचिव